पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1748
दिनांक- 25.09.2026

जोन-उत्तरी / थाना- सैरपुर

- **ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा मु0अ0सं0 76/2025 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बी0एन0एस0 थाना सैरपुर लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त को 01 वर्ष 02 माह 07 दिवस के कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

संक्षिप्त विवरणः

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) तथा सहायक पुलिस आयुक्त बी0के0टी0 के निर्देशन में एवं थानाध्यक्ष श्री मनोज कुमार कोरी के नेतृत्व में व थाना स्थानीय के पैरोकार आरक्षी मोहम्मद अख्तर के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुए माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 22/09/2026 सम्बन्धित मु0अ0सं0-76/2025 धारा- 305(a)/331(4)/317(2) बी0एन0एस0 थाना सैरपुर लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त दिनेश पुत्र पाले निवासी ग्राम बसंतीपुर थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर को दोषसिद्ध करते हुए 01 वर्ष 02 माह 07 दिवस, के कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नाम व पता अभियुक्त- सम्बन्धित अभियोग व सजा-

- दिनेश पुत्र पाले निवासी ग्राम बसंतीपुर थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर ।

को दोषसिद्ध करते हुए 01 वर्ष 02 माह 07 दिवस के कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पैरवीकर्ता -

1. थानाध्यक्ष मनोज कुमार कोरी
2. कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 जियाउल इस्लाम
3. पैरोकार थाना सैरपुर, लखनऊ का0 मो0 अख्तर

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1756

दिनांक-25.09.2026

- **लाइसेंसी शस्त्र विक्रेताओं के साथ बैठक आयोजित कर उनकी समस्याओं के निराकरण एवं शस्त्रों के सुरक्षित एवं नियमानुसार संचालन के संबंध में बैठक आहूत की गयी।**

01-संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 25.09.2026 को श्री बबलू कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा लाइसेंसी शस्त्र विक्रेताओं के साथ बैठक आयोजित कर उनकी समस्याओं के निराकरण एवं शस्त्रों के सुरक्षित एवं नियमानुसार संचालन के संबंध में बैठक आहूत की गयी जिसमें आर्म्स डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी गण व लाइसेंसी शस्त्र विक्रेता उपस्थित रहे।

02-उक्त बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी:-

- शस्त्र एवं कारतूसों के क्रय-विक्रय का समस्त अभिलेख निर्धारित नियमों के अनुसार अद्यतन रखा जाए।
- स्टॉक रजिस्टर एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों में किसी प्रकार की विसंगति न रहे।
- शस्त्र एवं कारतूसों का भंडारण निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया जाए।
- बिना वैध दस्तावेज/अनुमति के किसी भी शस्त्र अथवा कारतूस का क्रय-विक्रय न किया जाए।
- शस्त्रों के क्रय-विक्रय एवं हस्तांतरण के संबंध में लागू विधिक प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- पुलिस/प्रशासन द्वारा निरीक्षण अथवा सत्यापन के दौरान आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराए जाएं।
- किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध लेन-देन अथवा शस्त्र/कारतूस के दुरुपयोग की आशंका होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी जाए।
- पुराने/निष्क्रिय स्टॉक एवं अभिलेखों को अद्यतन रखा जाए।
- दुकानों में उपलब्ध शस्त्र एवं कारतूसों की सुरक्षा के लिए निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए।
- दुकानों पर अग्नि सुरक्षा उपकरणों को अनिवार्य रूप से लगाया जाए व नियमानुसार उनका रख-रखाव किया जाए।
- शस्त्रों से संबंधित समस्त कार्यवाही लागू विधिक प्रावधानों, लाइसेंस की शर्तों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही की जाए।

03-भविष्य की योजना:

जनपद लखनऊ के समस्त लाइसेंसी शस्त्र विक्रेताओं के साथ उक्त बिन्दुओं पर कार्ययोजना तैयार कर अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा समय-समय पर गोष्ठी आयोजन किये जाने पर भी सहमति बनी।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1753
दिनांक-25.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मोहम्मद मुश्ताक के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक थाना मोहनलालगंज सुशान्त गोल्फ सिटी श्री राजीव रंजन उपाध्याय के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 24.09.2026 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर वादिनी द्वारा तहरीरी सूचना दी गयी जिसमें विपक्षी/अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ रहकर शादी का झांसा देते हुए शारीरिक सम्बन्ध बनाने, मारपीट व गाली-गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया।

प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी में पर मु0अ0सं0 644/2026 धारा 69/89/318(4)/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) द्वारा 02 टीमो का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, टैक्निकल एवं मैनुएल साक्ष्यो व स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से अभियुक्त आतिफ खान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01-आतिफ खान पुत्र एजाजुद्दीन उर्फ संजू उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मोहल्ला नाजिरपुरा, थाना नगर कोतवाली, जनपद बहराइच।

04- अनावरित अभियोगः-

01-मु0अ0सं0 644/2026 धारा 69/89/318(4)/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1753
दिनांक-25.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मोहम्मद मुश्ताक के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक थाना मोहनलालगंज सुशान्त गोल्फ सिटी श्री राजीव रंजन उपाध्याय के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 24.09.2026 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर वादिनी द्वारा तहरीरी सूचना दी गयी जिसमें विपक्षी/अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ रहकर शादी का झांसा देते हुए शारीरिक सम्बन्ध बनाने, मारपीट व गाली-गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया।

प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी में पर मु0अ0सं0 644/2026 धारा 69/89/318(4)/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) द्वारा 02 टीमो का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, टैक्निकल एवं मैनुएल साक्ष्यो व स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से अभियुक्त आतिफ खान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01-आतिफ खान पुत्र एजाजुद्दीन उर्फ संजू उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मोहल्ला नाजिरपुरा, थाना नगर कोतवाली, जनपद बहराइच।

04- अनावरित अभियोगः-

01-मु0अ0सं0 644/2026 धारा 69/89/318(4)/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1752
दिनांक-25.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **महिला को ब्लैकमेल करने, धमकी देने एवं निजी फोटो/वीडियो प्रसारित करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मोहम्मद मुश्ताक के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक थाना मोहनलालगंज सुशान्त गोल्फ सिटी श्री राजीव रंजन उपाध्याय के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा महिला को ब्लैकमेल व धमकी देने तथा निजी फोटो प्रसारित करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.09.2026 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर वादिनी द्वारा तहरीरी सूचना दी गयी। जिसमें अभियुक्त द्वारा लगातार वादिनी का पीछा कर फोन के माध्यम से परेशान करने, धमकाने, उसके साथ जबरदस्ती करने तथा निजी फोटो/वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित कर ब्लैकमेल करने के संबंध में प्रार्थना दिया गया।

प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर दिनांक 24.09.2026 को मु0अ0सं0-643/2026, धारा 62/64/74/78/109(1)/127(2)/351(3) बीएनएस व 66 ई आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) द्वारा 02 टीमो का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, टैक्निकल एवं मैनुएल साक्ष्यो व स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से अभियुक्त आयुष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

01-आयुष मिश्रा पुत्र राजेन्द्र कुमार मिश्रा, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम सुल्तानपुर, थाना इटौंजा, लखनऊ, हाल पता जानकीपुरम, लखनऊ।

04- पंजीकृत अभियोगः-

01-मु0अ0सं0 643/2026 धारा 62/64/74/78/109(1)/127(2)/351(3) बीएनएस व 66 ई आईटी एक्ट थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ।

05- आपराधिक इतिहासः-

01-मु0अ0सं0-88/2024, धारा-323/363/366/504 भादवि थाना जानकीपुरम लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1755
दिनांक-25.09.2026

जोन-पश्चिमी/थाना- पारा

- **ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक का अपहरण कर ₹2 लाख की फिरौती मांगने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना पारा पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही में अपहृत व्यक्ति को सकुशल बरामद किया गया।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **24.09.2026** को थाना पारा पर वादी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री विजय बहादुर सिंह, निवासी ग्राम सोनबरसा, थाना बल्दीराय, जनपद सुल्तानपुर द्वारा सूचना दी गयी कि **मोबाइल टॉयलेट लगे ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक शुभम सिंह** को आगरा एक्सप्रेसवे जीरो प्वाइंट की सर्विस लेन के पास **फॉर्च्यूनर वाहन सं-UP65FX6363 में सवार व्यक्तियों द्वारा टक्कर होने के विवाद में जबरन अपने साथ ले जाया गया है।**

सूचना के अनुसार, अभियुक्तगण द्वारा शुभम सिंह को बंधक बनाकर **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे/वाराणसी की ओर ले जाते हुए उसके परिजनों एवं नगर निगम कर्मचारियों से ₹2,00,000 की फिरौती की मांग** की जा रही थी तथा पैसे न देने पर **जान से मारने की धमकी** दी जा रही थी।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना पारा पुलिस द्वारा तत्काल मु0अ0सं0 **670/2026 धारा 140(1) बीएनएस** पंजीकृत कर **त्वरित पुलिस कार्यवाही करते हुए अपहृत शुभम सिंह को अभियुक्तगण के कब्जे से सकुशल बरामद** किया गया तथा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 140(2)/352/115(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वे दोनों मैनपुरी से फॉर्च्यूनर वाहन संख्या **UP65FX6363** से वापस लौट रहे थे। दिनांक 24.09.2026 की रात्रि में आगरा एक्सप्रेसवे जीरो प्वाइंट के पास सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से उनकी गाड़ी की टक्कर हो गयी, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया।

वाहन क्षतिग्रस्त होने से नाराज होकर अभियुक्तगण द्वारा ट्रैक्टर चालक शुभम सिंह के साथ **मारपीट एवं गाली-गलौज की गयी तथा उसे जबरन अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाया गया।** इसके बाद उसके साथियों के फोन आने पर अभियुक्तगण द्वारा वाहन के नुकसान की भरपाई के नाम पर **₹2,00,000 ऑनलाइन भेजने की मांग** की गयी तथा पैसे न देने पर उसे बनारस ले जाने एवं जान से मारने की धमकी दी गयी।

03-गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-

1.**उपलब्ध कुमार दुबे उर्फ पीयूष पुत्र स्व0 राम सिंह दूबे**, निवासी ग्राम रेही लहनपुर थाना लालगंज जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 30 वर्ष

2.**नित्या नन्द सिंह उर्फ गोपाल पुत्र स्व0 विकास सिंह**, निवासी ग्राम कोडरिया थाना चन्दौली जनपद चन्दौली उम्र करीब 27 वर्ष

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0स0 670/2026 धारा 140(2)(2)115/352/ बी0एन0एस0 थाना पारा लखनऊ

05- गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना पारा लखनऊ

1. श्री सुरेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री ओम प्रकाश तिवारी चौकी प्रभारी मोहान रोड थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
3. उ0नि0 श्री अजय कुमार पटेल थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
4. का0 अजय कुमार थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
5. का0 मनोज कुमार थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
6. का0 सत्येन्द्र कुमार थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1751
दिनांक-25.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-मोहनलालगंज

- **थाना मोहनलालगंज पुलिस द्वारा महिला के साथ गलत काम कर हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मोहम्मद मुश्ताक के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलाललगंज श्री राजेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक थाना मोहनलालगंज श्री राम बाबू सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा महिला के साथ गलत काम कर हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 24/09/2026 को वादी बावत नामित विपक्षागणों द्वारा शराब के नशे में वादी की मां के साथ दुराचार कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में तहरीर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0-354/2026, धारा-70(1)/103(1)/238(a)/3(5) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) द्वारा टीमो का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, टैक्निकल एवं मैनुएल साक्ष्यो व स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से को अभियुक्तगण 01. राजेश 02. हरिराम रावत को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडीः-

पूछताछ के दौरान आरोपीगणों द्वारा बताया गया कि हम दोनों वादी की मां के साथ शराब पी रहे थे फिर हम लोगों के बीच आपस में वाद विवाद हो गया था एवं वादी की मां द्वारा हम दोनों को गाली गलौज किया जा रहा था जिस कारण शराब के नशे की हालत में हम लोगों द्वारा वादी की मां के साथ गलत काम किया जिस कारण वादी की मां चिल्लाने लगी तो हम लोगों ने उसकी पिटाई कर दी जिससे वह लोहे की चारपाई के पावे पर गिर गई एवं उसकी मृत्यु हो गई हम लोगों ने उसे उठाकर घर के पीछे अंधेरे में डाल दिया था जिससे की हम लोग पकडे न जाए। साहब, हमसे गलती हो गयी, हमे माफ कर दीजिए।

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

01-राजेश उर्फ गुड्डू पुत्र राम प्रसाद नि0ग्रा0-पदमिनखेड़ा मजरा हुलासखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र 30 वर्ष।
02-हरिराम रावत पुत्र बुधई नि0ग्रा0-पदमिनखेड़ा मजरा हुलासखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र करीब 34 वर्ष।

05-अनावरित अभियोग का विवरणः-

01-मु0अ0सं0 354/2026 धारा 70(1)/103(1)/238(a)/3(5) बी0एन0एस0 थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1750
दिनांक-25.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-मोहनलालगंज

- **थाना मोहनलालगंज पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही विवरणः-

श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मोहम्मद मुश्ताक के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलाललगंज श्री राजेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक थाना मोहनलालगंज श्री राम बाबू सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 17/09/2026 को वादिनी द्वारा बावत वादिनी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को विपक्षी अनुज कुमार द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे तहरीर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-347/2026, धारा-87/137(2) बी0एन0एस0 थाना मोहनलालगंज लखनऊ पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) द्वारा कुल 02 टीमो का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, टैक्निकल एवं मैनुएल साक्ष्य व स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से आज दिनांक-25.09.2026 को अभियुक्त अनुज को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. अनुज पुत्र जगरुप निवासी सेमरी थाना असोहा जनपद उन्नाव हाल पता निवासी ग्राम भसण्डा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष।

04-अनावरित अभियोग का विवरणः-

01-मु0अ0सं0 347/2026 धारा 87/137(2) बी0एन0एस थाना मोहनलालगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0 -1754
दिनांक 25.09.2026

जोन – मध्य / थाना – हुसैनगंज

- **थाना हुसैनगंज पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 24.09.2026 को शिकायतकर्ता / वादी मुकदमा मो0 कलीम पुत्र मो0 सलीम निवासी 302/3ख1 कटरा हैदर हुसैन चौक थाना चौक जनपद लखनऊ अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के ऑफिस में घुसकर सामान चोरी कर ली गयी है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0159/2026 धारा 305(A) बीएनएस पंजीकृत हुआ।

पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विकास सोनकर पुत्र जितानू सोनकर निवासी 14/13 पुराना बर्फ खाना थाना हुसैनगंज लखनऊ को दिनांक 24.09.2026 समय करीब 22.30 स्थान रामलीला मैदान के पास से गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे / निशादेही से 03 अदद ए0सी0 आउटडोर मोटर व 03 अदद एक्सपेंशन वॉल, 03 अदद हीटिंग वॉल और 01 अदद छोटा ट्रांसफार्मर बरामद किया गया है बरामदगी के आधार पर ही धारा 317(2) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी की गयी है।

अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02– अनावरित अभियोग -

1. मु0अ0सं0 0159/2026 धारा 305(A)/317(2) बीएनएस थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।

03 - गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. विकास सोनकर पुत्र जितानू सोनकर निवासी 14/13 पुराना बर्फ खाना थाना हुसैनगंज लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष।

04 - बरामदगी का विवरण -

- 03 अदद एसी आउटडोर मोटर।
- 03 अदद एक्सपेंशन वाल।
- 03 अदद हीटिंग वाल।
- 01 अदद छोटा ट्रांसफार्मर।

05-अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0325/2018 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 0166/2019 धारा 324/506 भा0द0वि0 थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 0073/2025 धारा 305(ए)/317(2) बी0एन0एस0 थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 0159/2026 धारा 305(A)/317(2) बीएनएस थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।

06- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष शिवमंगल सिंह, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
2. उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
3. उ0नि0 सुहैल अहमद, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
4. हे0का0 आशीष शुक्ला, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
5. का0 अजय, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।